मार्च 2009 को

समाप्त वर्ष

के लिए

हिमाचल प्रदेश राज्य

से सम्बन्धित

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

के

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों

का सारांश

प्रस्तावना

यह सारांश 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राज्य के वित्त, सिविल, राजस्व प्राप्तियां तथा वाणिज्यिक) के महत्वपूर्ण विषयों की झलक प्रस्तुत करता है। इन प्रतिवेदनों में हिमाचल प्रदेश सरकार, सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष सम्मिलित हैं। अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियां, जो इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हैं, उनके निपटान हेतु सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों और कार्यालयाध्यक्षों के साथ मामला उठाया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई बातों के साथ-साथ लेखाओं पर अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्यपाल को भेजते हैं, जो उन्हें विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं।

राज्य सरकार के लेन-देनों पर विधानसभा को प्रस्तुत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों राज्य के वित्त, सिविल तथा राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति और वाणिज्यिक प्रतिवेदन के मामले में लोक उपक्रम समिति को भेजा जाता है। सरकारी विभागों को सभी लेखापरीक्षा परिच्छेदों तथा समीक्षाओं पर की गई टिप्पणियों को लेखापरीक्षा से विधिवत् पड़ताल करवाकर समितियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। समितियां कुछ परिच्छेदों/समीक्षाओं को विस्तृत जांच हेतु चयन करती हैं तथा इसके उपरान्त उन पर अपनी टिप्पणियों तथा सिफारिशों से अन्तर्विष्ट प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों/समीक्षाओं के प्रारूप सदैव सम्बन्धित विभाग के प्रधान सचिव को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किए जाते हैं, ताकि उन्हें राज्य विधानसभा को प्रस्तुत करने से पूर्व उन पर सरकार के विचार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए जा सकें। वित्त विभाग ने निर्धारित किया है कि प्रारूप परिच्छेदों का निपटान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए और सम्बन्धित विभाग की टिप्पणियां लेखापरीक्षा को छः सप्ताह की अवधि के भीतर सूचित की जानी चाहिए। तथापि, अधिकांश मामलों में विभागों ने प्रारूप परिच्छेदों पर निर्धारित समय में टिप्पणियां प्रस्तुत करने में प्रावधान का पालन नहीं किया।

इस सारांश में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अधिक महत्वपूर्ण मामलों का केवल सारांशित विवरण सम्मिलित है। यद्यपि हमारा यह प्रयास रहा है कि इस प्रलेख का सारांश जहां तक सम्भव हो, मूल प्रतिवेदनों जैसा हो तथापि तथ्यों तथा आंकड़ों की प्रमाणिकता हेतु मूल प्रतिवेदनों का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण हेतु सम्पर्क किए जाने वाले अधिकारियों के नाम और दूरभाष संख्या इस सारांश के पिछले कवर के भीतर के पृष्ठ पर दिए गए हैं।

विषय सूची

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य के वित्त	1
2.	सिविल	6
3.	राजस्व प्राप्तियां	14
4.	वाणिज्यिक	20

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(करोड़ रूपए)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	4,635	6,559	7,835	9,142	9,308
(i) कर राजस्व	**1,252 (27)**	**1,497 (23)**	**1,656 (21)**	**1,958 (21)**	**2,242 (24)**
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	542 (43)	727 (49)	914 (55)	1,092 (56)	1,246 (56)
राज्य आबकारी	300 (24)	329 (22)	342 (21)	389 (20)	432 (19)
वाहन कर	108 (9)	102 (7)	106 (6)	114 (6)	136 (6)
स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	75 (6)	82 (5)	93 (6)	87 (4)	98 (4)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	88 (7)	89 (6)	30 (2)	82 (4)	79 (4)
भू-राजस्व	3 (--)	1 (--)	2 (--)	2 (--)	20 (1)
माल एवं यात्री कर	38 (3)	43 (3)	50 (3)	55 (3)	62 (3)
अन्य कर	98 (8)	124 (8)	119 (7)	137 (7)	169 (7)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	**611 (13)**	**690 (11)**	**1,337 (17)**	**1,823 (20)**	**1,756(19)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	537 (12)	493 (7)	629 (8)	794 (9)	838 (9)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**2,235 (48)**	**3,879 (59)**	**4,213 (54)**	**4,567(50)**	**4,472(48)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	--	--	----
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	**26**	**22**	**23**	**26**	**21**
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**4661**	**6581**	**7858**	**9168**	**9,329**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**2,677**	**1,781**	**2,080**	**1,849**	**2,249**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों को छोड़कर)	2,444 (91)	1,753 (98)	2,042 (98)	1,798 (97)	2,237 (99)

अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	233 (9)	28 (2)	38 (2)	51 (3)	12 (1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**7,338**	**8,362**	**9,938**	**11,017**	**11,578**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	--	--	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियां	**5,030**	**4,933**	**5,265**	**6,223**	**6,760**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**12,368**	**13,295**	**15,203**	**17,240**	**18,338**
भाग ख: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**5,793**	**6,466**	**7,644**	**8,292**	**9,438**
योजनागत	978 (17)	1,182 (18)	1,325 (17)	1,202 (14)	877 (9)
गैर-योजनागत	4,815 (83)	5,284 (82)	6,319 (83)	7,090 (86)	8,561 (91)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	2,723 (47)	2,818 (43)	3,300 (43)	3,429 (41)	3,918 (42)
सामाजिक सेवाएं	1,890 (33)	2,309 (36)	2,586 (34)	2,876 (35)	3,332 (35)
आर्थिक सेवाएं	1,177 (20)	1,333 (21)	1,755 (23)	1,984 (24)	2,184 (23)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	3 (--)	6 (--)	3 (--)	3 (--)	4 (-)
11. पूंजीगत व्यय	**654**	**821**	**1,110**	**1414**	**2079**
योजनागत	630 (96)	820 (100)	1,043 (94)	1,313 (93)	1,992 (96)
गैर-योजनागत	24 (4)	1 (-)	67 (6)	101 (7)	87 (4)
सामान्य सेवाएं	30 (5)	52 (6)	61 (5)	59 (4)	64 (3)
सामाजिक सेवाएं	330 (50)	369 (45)	575 (52)	586 (42)	833 (40)
आर्थिक सेवाएं	294 (45)	400 (49)	474 (43)	769 (54)	1,182 (57)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**24**	**14**	**26**	**14**	**90**
13. जोड़ (10+11+12)	**6,471**	**7,301**	**8,780**	**9,720**	**11,607**
14. लोक ऋण की चुकौतियां	**1,659**	**1,308**	**1,311**	**937**	**885**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्षों को छोड़कर)	581 (35)	1219 (93)	1,182 (90)	839	829
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्षों के	95 (6)	23 (2)	--	42	--

अन्तर्गत निवल लेन-देन भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	983 (59)	66 (5)	129 (10)	56	56
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	--	--	--	--
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**8,130**	**8,609**	**10,091**	**10,657**	**12,492**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	**4,027**	**4,387**	**5,370**	**5,737**	**5,690**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**12,157**	**12,996**	**15,461**	**16,394**	**18,182**
भाग ग: घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	**(-) 1,158**	**(+) 93**	**(+) 191**	**(+) 850**	**(-) 130**
21. राजकोषीय घाटा (-)/ राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	**(-) 1,810**	**(-) 720**	**(-) 922**	**(-) 552**	**(-) 2,278**
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	**(-) 169**	**(+) 843**	**(+) 747**	**(+) 1,151**	**(-) 384**
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**1,641**	**1,563**	**1,669**	**1,703**	**1,894**
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	**275**	**380**	**399**	**467**	**582**
25. लाभ उठाए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (दिन)	**120**	**13**	**01**	--	--
लाभ उठाए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	93	13	01	--	--
लाभ उठाए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	27	--	--	--	--
26. अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्षों पर ब्याज	**2.34**	**0.32**	**0.89**	--	--
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद@	**23,066**	**25,471**	**28,358**	**31,974**	**36,940**

28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्षान्त)	**16,533**	**17,432**	**18,071**	**19,419**	**21,819**
29. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	**4,751**	**3,587**	**2,976**	**2,632**	**2,291**
30. प्रत्याभूत की गई अधिकतम राशि (वर्षान्त)	**6,409**	**5,526**	**6,347**	**6,450**	**6,076**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**39**	**15**	**30**	**20**	**17**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरोधित पूंजी	58	25	160	121	96
भाग ङ: राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.03	0.03	0.05	0.06	0.05
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.10	0.15	0.15	0.14	0.14
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.28	0.29	0.31	0.30	0.31
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.40	1.11	1.12	1.06	1.25
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.90	0.89	0.87	0.85	0.81
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.29	0.32	0.29	0.30	0.29
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.18	0.18	0.20	0.20	0.19
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.10	0.11	0.13	0.15	0.18
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.10	0.11	0.12	0.14	0.17

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-09
III राजकोषीय असंतुलन प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 0.050	0.004	0.006	0.027	(-) 0.004
राजकोषीय घाटा /सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 0.078	(-) 0.028	(-) 0.033	(-) 0.017	(-) 0.062
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 0.007	0.033	0.026	0.036	(-) 0.010
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(-) 0.640	(-) 0.129	(-) 0.207	(-) 1.540	(-) 0.057
प्राथमिक राजस्व संतुलन/सकल राज्य घरेलू उत्पाद				0.284	0.247
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.72	0.68	0.64	0.61	0.59
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	3.57	2.66	2.31	2.12	2.34
प्रमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा	(-) 1.625	4.153	2.223	1.741	(-) 0.364
ऋण विमोचन (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	0.88	1.18	1.27	1.02	0.92
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	0.58	28.61	1.80	0.52	89.58
चालू राजस्व से बकाया (करोड़ रू0)	(-) 1,585	(-) 191	(-) 281	(+) 113	(-) 1,423
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.51	0.54	0.57	0.60	0.68

कोष्ठकों के आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के जोड़ की प्रतिशतता (निकटतम) को दर्शाते हैं।

@ सरकार द्वारा सूचित राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य के वित्त)

केन्द्र स्तर तक राज्य के वित्त को लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के वित्त पर एक पृथक् एकाकी प्रतिवेदन को इस चुनौती के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रत्युत्तर को स्वीकार करते हुए तैयार किया गया है। मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा तैयार की गई है। प्रतिवेदन की रचना तीन अध्यायों में की गई है अर्थात् 'राज्य सरकार के वित्त', 'वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियन्त्रण' तथा 'वित्तीय सूचना'।

राज्य सरकार के वित्त

राज्य सरकार के वित्त लेखे उपयुक्त वर्गीकरणों के अन्तर्गत प्राप्तियों तथा व्यय दोनों से सम्बन्धित सभी लेन-देनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। सरकारी लेखों में सभी लेन-देनों के सारांश के अतिरिक्त वित्त लेखों में (क) ऋण स्थिति का सारांश, (ख) राज्य सरकार के ऋण तथा अग्रिम, (ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां तथा (घ) बकायों के सारांश सम्मिलित हैं। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां निम्नवत् हैं:

वित्त लेखों का सारांश

(करोड़ रूपए)

2007-08	प्राप्तियां	2008-09	2007-08	संवितरण	2008-09		
प्रवर्ग-क: राजस्व					गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़
9,142	**राजस्व प्राप्तियां**	**9,308**	**8,292**	**राजस्व व्यय**	**8,561**	**877**	**9,438**
1,958	कर राजस्व	2,242	3,429	सामान्य सेवाएं	3,887	31	3,918
1,823	कर-भिन्न राजस्व	1,756	2,876	सामाजिक सेवाएं	2,898	434	3,332
794	संघीय करों/शुल्कों का भाग	838	1,984	आर्थिक सेवाएं	1,772	412	2,184
4,567	भारत सरकार से अनुदान	4,472	3	सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	--	4

प्रवर्ग-ख: पूंजीगत							
--	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	1,414	पूंजीगत परिव्यय	87	1,992	2,079
26	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	21	14	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	76	14	90
1,849	लोक ऋण प्राप्तियां	2,249	936	लोक ऋण चुकौतियां	885	--	885
--	आकस्मिकता निधि	--	--	आकस्मिकता निधि	--	--	--
6,223	लोक लेखा प्राप्तियां	6,760	5,737	लोक लेखा संवितरण	5,690	--	5,690
(-)24	अथ नकद शेष	823	823	अंत नकद शेष			979
17,216	जोड़	19,161	17,216	जोड़			19,161

केन्द्रीय अंतरणों पर निर्भरता 2008-2009 के दौरान केन्द्रीय कर अंतरण तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 57 प्रतिशत था।

राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि राज्य की राजकोषीय देयताएं 2004-2005 में 16,533 करोड़ रू0 से बढ़कर 2008-2009 में 21,819 करोड़ रू0 (31.97 प्रतिशत) हो गई। ये देयताएं 2008-2009 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 59 प्रतिशत तक थी तथा उच्च स्तर पर रही, विशेषतया जब इसकी तुलना बारहवें वित्त आयोग के मार्च 2009 तक प्राप्त किये जाने वाले 31 प्रतिशत के मानकों के साथ की जाती है।

निधियों का उपयोग मुख्यतः राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रधान हिस्सा था। राज्य का राजस्व व्यय 2007-08 में 8,292 करोड़ रू0 से 2008-2009 में 9,438 करोड़ रू0 तक 14 प्रतिशत बढ़ गया।

अविकासात्मक व्यय एवं ब्याज की अदायगियां 2008-2009 के दौरान सामान्य सेवाओं तथा ब्याज अदायगियों, जिसे अविकासात्मक व्यय के रूप में लिया गया, पर व्यय राज्य सरकार के कुल व्यय का 34.31 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित ब्याज अदायगियां 20 प्रतिशत हैं तथा जो बारहवें वित्तायोग द्वारा संस्तुत मानकों से 15 प्रतिशत अधिक थी जिसे प्रदत्त अवधि के दौरान प्राप्त किया जाना था।

वेतन तथा पैंशन पर अधिक व्यय

2008-2009 के दौरान वेतन तथा मजदूरी पर 3,940 करोड़ रू0 का व्यय राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय शुद्धि पथ में प्रक्षिप्त (2,627 करोड़ रू0) से 1,313 करोड़ रू0 (50 प्रतिशत) अधिक था। वेतन व्यय राजस्व व्यय, निवल ब्याज तथा पैंशन अदायगियों का 62 प्रतिशत है जो बारहवें वित्तायोग द्वारा की गई सिफारिश 35 प्रतिशत के मानक से बहुत ज्यादा है। पैंशन भुगतान 2004-2005 में 591 करोड़ रू0 से 2008-2009 में 95 प्रतिशत बढ़कर 1,154 करोड़ रू0 तथा चालू वर्ष के दौरान 205 करोड़ रू0 हो गया, गत वर्ष की अपेक्षा इसमें 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

निवेशों से नगण्य प्रतिफल

सरकार ने वर्ष 2008-2009 के अंत तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में 2,369 करोड़ रू0 का निवेश किया था। जबकि सरकार ने वर्ष 2004-2009 के दौरान बाजार से 9.09 तथा 10.60 प्रतिशत के मध्य की औसत ब्याज की दर से उच्च लागत पर उधार लिए थे, इसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिफल 1.1 प्रतिशत के लगभग था।

राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 7 प्रतिशत लक्षित प्राप्ति के प्रति सरकार को 4.2 प्रतिशत ब्याज प्राप्तियों से आय 2008-09 के दौरान बकाया ऋण के प्रति प्रतिशतता के रूप में प्राप्त हुई। तथापि, इस अवधि के दौरान ऋणों पर 9.8 प्रतिशत ब्याज की अदायगी की गई।

2008-09 के दौरान राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा 0.35 तथा 6.17 प्रतिशत था जोकि बारहवें वित्तायोग द्वारा की गई प्रक्षिप्तियों से क्रमश: 0 तथा 3 प्रतिशत से अधिक था जो राज्य को आवर्तन था वह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में स्थापित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर था।

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

विनियोजन लेखों में दी गई अनुसूचियों में निर्दिष्टानुसार विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत्त अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन की राशियों से तुलना करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के लेखों को विनियोजन लेखे कहते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक् रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की उन दोनों प्रभारित व दत्तमत्त मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा अधिकृत की तुलना में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार, विनियोजन लेखे वित्त प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को सुकर बनाते हैं तथा इसलिए वित्त लेखों के सम्पूरक हैं।

विनियोग लेखों का सारांश

(करोड़ रू0)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	जोड़	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत्त	I राजस्व	8,335.22	363.06	8,698.28	8,771.51*	(+) 73.23
	II पूंजीगत	1,950.05	250.61	2,200.66	2,185.41*	(-) 15.25
	III ऋण एवं अग्रिम	101.76	5.37	107.13	89.61	(-) 17.52
कुल दत्तमत		**10,387.03**	**619.04**	**11,006.07**	**11,046.53**	**(+) 40.46**
प्रभारित	IV राजस्व	1,846.16	55.02	1,901.18	1,912.09	(+) 10.91
	V पूंजीगत	---	0.08	0.08	0.08	---
	VI लोक ऋण-चुकौतियां	1,182.00	--	1,182.00	885.54	(-) 296.46
कुल प्रभारित		**3,028.16**	**55.10**	**3,083.26**	**2,797.71**	**(-) 285.55**
आकस्मिकता निधि को विनियोजन (यदि कोई हो)		---	---	---	---	---
सकल जोड़		**13,415.19**	**674.14**	**14,089.33**	**13,844.24**	**(-) 245.09**

**मांग संख्या 10, 13 तथा 31 के अतिरिक्त ये सकल आंकड़े हैं जिसमें कुछ उचन्त शीर्षों को परिचालित किया गया है।*

बचत/आधिक्य 245.09 करोड़ रू0 की समग्र बचतों में 48 मामलों में बचतें (801.61 करोड़ रू0) तथा 16 मामलों में आधिक्यों (556.52 करोड़ रू0) का परिणाम था।

अधिक व्यय को नियमित न करवाना सरकार द्वारा 2003-2009 के दौरान विधानसभा द्वारा संस्वीकृत राशि से अधिक किये गये 10,455.14 करोड़ रू0 के व्यय को सितम्बर 2009 तक नियमित किया जाना अपेक्षित था।

अनुपूरक अनुदान पांच मामलों में प्राप्त किया गया 48.81 करोड़ रू0 का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल बजट प्रावधानों से कम था।

विवेकहीन पुनर्विनियोजन विवेकहीन पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा जिसके कारण 161 उप-शीर्षों में 10 लाख रू0 से अधिक की बचत/आधिक्य हुआ। 36 उप-शीर्षों में आधिक्य/बचतें दो करोड़ रू0 से अधिक थी। इनमें से पांच उप-शीर्षों में बचतें/व्यय 25 करोड़ रू0 तथा इससे ऊपर बढ़ गया।

वित्तीय सूचना

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों सहित राज्य सरकार की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा स्थिति को उपलब्ध करवाता है।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

मार्च 2009 तक विभिन्न विभागों से अनुदानों तथा ऋणों से सम्बन्धित 675.49 करोड़ रू0 के देय उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार को भेजे जाने शेष थे; इसमें 31.30 करोड़ रू0 के 306 उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्मिलित थे जोकि पांच वर्षों से अधिक से बकाया पड़े हुए हैं।

दुर्विनियोजन, हानियां, चूकें इत्यादि के बकाया मामले

एक वर्ष से 25 वर्षों तथा इससे अधिक समय के दौरान 77.34 लाख रू0 से अंतर्ग्रस्त 51 मामलों में से 51.06 लाख रू0 (66 प्रतिशत) से अन्तर्ग्रस्त 23 मामलों में विभागीय प्रक्रिया तथा अपराधिक जांच भी आरम्भ नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के लेन-देनों तथा लेखों की नमूना लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों की तीन निष्पादन समीक्षाएं, विभाग की एक एकीकृत लेखापरीक्षा तथा 32 परिच्छेद समाविष्ट हैं।

मुख्य-मुख्य बातें:

- *मिशन अवधि (2005-2012) के चौथे वर्ष में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मध्यावधि समीक्षा में चिन्तनीय क्षेत्रों तथा मिशन के लिए स्थापित उद्देश्यों की सफल उपलब्धि को बताने की आवश्यकता के मामलों को उजागर करती है। समीक्षा योजना, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण क्रियाकलापों में गम्भीर अन्तरों को रेखांकित करती है। वार्षिक योजनाओं में कुटुम्ब सर्वेक्षण तथा सापेक्ष योजना के अभाव एवं बुनियादी स्तर पर समुदाय से अन्तर्धारिता की कमी ने योजना प्रक्रिया को निरर्थक बना दिया। यद्यपि स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वृद्धि मानकों से अधिक हुई, परन्तु ये अपर्याप्त अवसंरचना तथा अपर्याप्त जनशक्ति के कारण लक्षित लाभार्थियों को विश्वसनीय तथा पहुंचयोग्य स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित नहीं कर सके। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कुछ मुख्य अभिक्रमों जैसे आशा तथा ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समितियों ने अपेक्षित ध्यान नहीं दिया है। पिछले चार वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र पर जन व्यय भी स्थिर रहा।*
- *2004-09 की अवधि को आवृत्त करते हुए स्कीम "पुलिस बल का आधुनिकीकरण" की निष्पादन समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि इसके कार्यान्वयन के 40 वर्षों के पश्चात् भी राज्य पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए स्कीम का उद्देश्य अधिकांशतः अप्राप्त रहा। स्कीम का कार्यान्वयन गृह मन्त्रालय द्वारा चिन्हित प्राथमिकता क्षेत्रों के साथ अनुरूप नहीं था। उपार्जित परिष्कृत अस्त्र-शस्त्रों को क्षेत्रीय इकाइयों को आपूरित नहीं किया गया तथा वे अभी भी पुराने अस्त्र-शस्त्रों पर निर्भर थे।*
- *राज्य में सिंचाई क्षमता के द्रुतगामी विकास के उद्देश्य एवं किसानों के लाभार्थ इसकी सम्भावित प्रयुक्ति को वांछित सीमा तक योजना, निष्पादन तथा अनुश्रवण में अन्तर्निहित कमियों के कारण प्राप्त नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई दो मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा 121 लघु सिंचाई स्कीमों में से किसी भी मध्यम सिंचाई परियोजना को पूर्ण नहीं किया गया जबकि 37 लघु स्कीमों को मार्च 2009 तक पूर्ण किया गया। नाबार्ड की ऋण सहायता के अन्तर्गत सिंचाई स्कीमों का निष्पादन भी संतोषजनक नहीं था, क्योंकि 26 स्कीमों में से केवल 13 स्कीमें नियतावधि में पूर्ण की गई तथा शेष 13 स्कीमें अभी भी प्रगति पर थीं।*
- *वन विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा ने विशेषतया योजना, वित्तीय प्रबंधन तथा परियोजनाओं के निष्पादन में विभाग के कृत्यकारी महत्वपूर्ण अन्तरों को प्रकाश में लाया। विभाग के डाटाबेस पर निर्भर नहीं किया जा सकता क्योंकि 2006-07 तक वनीकृत क्षेत्र में उपलब्धि 6,807 वर्ग कि0मी0 दर्शाई थी जबकि वनीकरण के लिए उपलब्ध वास्तविक क्षेत्र केवल 6,297 वर्ग कि0मी0 था। हालांकि राज्य में बंदोबस्त प्रक्रिया के आरम्भ होने (1988) के तीन दशकों से अधिक के व्यपगमन के पश्चात् केवल 4,485 वर्ग कि0मी0 को निर्धारित किया गया तथा 12 जिलों में से 10 जिलों में 11,033 वर्ग कि0मी0 के लक्षित वन क्षेत्र का अभी निर्धारित किया जाना है। ये त्रुटियां विभाग में विद्यमान पर्यवेक्षण की अप्रभावशालिता तथा अनुश्रवण तंत्र को रेखांकित करती हैं।*

निष्पादन समीक्षाएं

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

स्कीम के मुख्य उद्देश्य

2005-2012 की समयावधि के दौरान प्राप्त होने वाले मिशन के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्य, पहुंचयोग्य, उत्तरदायी, प्रभावी तथा विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं विशेषतया समाज के गरीब एवं दुर्बल वर्ग को उपलब्ध करवाना, योजना एवं अनुश्रवण में समुदाय को शामिल करना; जनसंख्या स्थिरता के लिए शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर तथा कुल प्रजनन दर को कम करना; तथा स्थानीय प्रान्तिक रोगों सहित संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण करना है।

लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष

स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आधार कार्यों की कमी

2005-09 के दौरान सापेक्ष योजना तथा जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाओं को तैयार नहीं किया गया तथा योजना प्रक्रिया में सामुदायिक भागेदारी को सुनिश्चत नहीं किया गया। इन योजनाओं की कमी तथा वार्षिक योजनाओं में बुनियादी स्तर पर समुदाय से अन्तर्धारिता के अभाव में योजना प्रक्रिया को एक व्यर्थ श्रम बना दिया था।

निधियों की अवप्रयुक्ति

2005-09 के दौरान कुल प्राप्त निधियों में से 61 से 75 प्रतिशत तक निधियां मिशन निदेशक के पास अप्रयुक्त रही।

अवसंरचना तथा जनशक्ति

यद्यपि स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वृद्धि मानकों से अधिक हुई, वे केन्द्र अपर्याप्त अवसंरचना तथा अपर्याप्त जनशक्ति के कारण लक्षित लाभार्थियों को विश्वसनीय तथा पहुंचयोग्य स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित नहीं कर सके।

स्कीम के अन्तर्गत मुख्य अभिक्रमों का प्रदर्शन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मुख्य अभिक्रमों जैसेकि आशा तथा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों ने अपेक्षित ध्यान नहीं दिया है तथा पिछले चार वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र पर जन व्यय भी स्थिर बना रहा।

अन्य विभागों के साथ समनुरूपता

सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, पोषाहार, प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास तथा महिला सशक्तिकरण से सम्बद्ध मामलों को विभागों के साथ मिशन के क्रियाकलापों की समरूपता को सुनिश्चित नहीं किया गया।

गृह विभाग

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

स्कीम के मुख्य उद्देश्य

आधारभूत पुलिस अवसंरचना में कमियों को चिन्हित करना; अच्छे अस्त्र-शस्त्रों एवं गोलाबारूद तथा अन्य उपकरणों को उपलब्ध करवाने से पुलिस बल की परिचालन कार्यकुशलता में सुधार करना; बेहत्तर तथा अधिक सुरक्षित परिवहन उपलब्ध करवाने से बल की गतिशीलता में बढ़ौतरी करना; पर्याप्त तथा परिष्कृत संचार जुगतों (मशीनों) सहित विभिन्न क्षेत्रीय निर्माणों के मध्य संचार तथा सूचना सहभागिता में सुधार करना; अच्छे प्रशिक्षण तथा उपकरण के माध्यम से पुलिस बल की जांच निपुणता में तेजी लाना; तथा आंतरिक सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओं पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों तथा सेना पर राज्य सरकार की निर्भरता को कम करना है।

लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष

पुलिस बल की गतिशीलता

निम्न स्तर से पुलिस बल की गतिशीलता में वृद्धि करने का उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि 2004-09 के दौरान प्राप्त किए गए 77 हल्के वाहनों को राज्य तथा जिला पुलिस मुख्यालयों, भारतीय आरक्षित वाहिनियों तथा राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला में रखा गया था।

अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद तथा अन्य उपकरण

मानकों के अनुसार अस्त्र-शस्त्रों के निर्धारण तथा उपार्जन में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप दो श्रेणियों (7.62 एमएम एसएलआर राईफलें: 6,416 नं0 छोटी तथा एलएम गनें: 285 नं0 छोटी) में भारी कमी (71 तथा 88 प्रतिशत) तथा एक श्रेणी में (9 एमएम पिस्टलें: 869 नं0 अधिक) वृद्धि (221 प्रतिशत) हुई जिससे पुलिस बल की प्रहारकारी योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

निगरानी तथा संचार

1.47 करोड़ रू0 का व्यय करने के बावजूद भी पुलिस स्टेशन स्तर पर पोलनेट के कार्यान्वयन को तकनीकी कमियों तथा मार्ट प्रणाली के अविश्वसनीय प्रदर्शन के कारण क्षति पहुंची।

डीएनए पार्श्वचित्र मण्डल का संचालन

मई 2006 में राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, जुन्गा हेतु भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत डीएनए पार्श्वचित्र मण्डल पदों को न भरने के कारण अक्रियाशील रहा। परिणामत:, सितम्बर 2006 में गृह मंत्रालय से प्राप्त 69.38 लाख रू0 के मूल्य के उपकरण बेकार पड़े रहे।

पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधाएं

विभाग राष्ट्रीय पुलिस आयोग के मानकों के अनुसार उच्च तथा निम्न अधीनस्थों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने में विफल रहा तथा 2004-09 के दौरान संतोषजनक स्तर केवल 13 से 17 प्रतिशत प्राप्त किया।

स्कीम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

राज्य स्तरीय अधिकृत समिति ने 2004-09 के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने के लिए बैठक नहीं की जबकि उसे प्रत्येक तीन महीने में एक बार बैठक करना अपेक्षित था। राज्य पुलिस बल की बढ़ी हुई गतिशीलता तथा प्रहारक योग्ताओं के प्रभाव को अभिनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा स्कीम का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग

सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन

उद्देश्य

चालू मुख्य/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जिन पर पर्याप्त निवेश किया गया था तथा राज्य सरकारों के संसाधन क्षमता से बाहर थी, की पूर्णता को गति प्रदान करने के उद्देश्य से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आरम्भ किया गया (1996-97)। तत्पश्चात्, 1999-2000 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वयन हेतु सम्मिलित किया गया।

लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष

आकलित सिंचाई क्षमता का दोहन करने के लिए मास्टर प्लान तैयार न करना

विभाग ने आकलित सिंचाई क्षमता के योजनाबद्ध दोहन हेतु कोई दीर्घावधि मास्टर प्लान तैयार नहीं किया था।

सिंचाई क्षमता के सृजन में कमी

भारत निर्माण के अन्तर्गत अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 77,880 हैक्टेयर के सृजन के लक्ष्य के प्रति केवल 17,053 हैक्टेयर (22 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का सृजन ही विभाग द्वारा 2005-09 के दौरान किया जा सका।

पूर्ण स्कीमों की अवप्रयुक्तता

विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत सृजित सिंचाई क्षमता का भी इष्टतम रूप से उपयोग नहीं किया गया तथा 2004-09 के दौरान उपयोगिता में 56 तथा 100 प्रतिशत के मध्य की कमी थी।

तकनीकी संस्वीकृतियां लिए बिना स्कीमों का निष्पादन

यह आश्वस्त करने के लिए कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सही, व्यवहार्य हैं तथा आकलन सही रूप से संगणित किए गए हैं, तकनीकी संस्वीकृतियां प्राप्त नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप अधिकतर स्कीमें अव्यहार्य रही।

लक्षित परियोजनाओं/स्कीमों को पूर्ण न करना

दो से चार वर्षों की निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं/स्कीमों को पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप समय/लागत में वृद्धि हुई।

वन विभाग

वन विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

विभाग के मुख्य कार्य

विभिन्न राज्य क्षेत्र स्कीमों, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से वनों के प्रभावी प्रबन्धन तथा आरक्षित क्षेत्रों, वन के घनत्व तथा वनाच्छादन को बढ़ाने, भू-संरक्षण कार्यों से पर्यावरण सुरक्षा, अद्वितीय हिमालयन जीव प्रभेद का संरक्षण, विकास तथा सुरक्षा करना है।

लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष

वनीकृत क्षेत्र की अवास्तविक उपलब्धियां

विभाग द्वारा वनीकृत क्षेत्र के सम्बन्ध में उपलब्धियां वनीकरण हेतु 6,297 वर्ग कि0मी0 के उपलब्ध क्षेत्र के प्रति शंकास्पद है, विभाग ने 6,807 वर्ग कि0मी0 के क्षेत्र में वनीकरण को दिखाया था।

आबंटित निधियों की प्रयुक्तता में कमी

मध्य-हिमालयन जलागम विकास परियोजना के गिरी आजीविका संवृद्धि घटक के अन्तर्गत वित्तीय प्रदर्शन बिल्कुल निकृष्ट था क्योंकि निधियां 42 से 86 प्रतिशत के मध्य अभिप्रेत उद्देश्य हेतु प्रयुक्त नहीं की गई।

पौधारोपण के अनुरक्षण के लिए निधियों को जारी न करना

2004-08 के दौरान विभिन्न जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजनाओं के अन्तर्गत पौधरोपण (1,753.50 हैक्टेयर) पर 7.45 करोड़ रू0 व्यय किए गए परन्तु राज्य सरकार द्वारा उनकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण हेतु निधियां उपलब्ध नहीं करवाई।

उपयोगकर्त्ता अभिकरण द्वारा निधियों का बहुत कम जमा करना

कोलडैम परियोजना की 64.13 करोड़ रू0 निर्धारित पर्यावरण लागत के प्रति उपयोगकर्त्ता अभिकरण ने जुलाई 2009 तक केवल 13.47 करोड़ रू0 जमा किये थे।

अनुसंधान एवं विकास को निश्चित न करना

2004-09 के दौरान अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए डा0 वाई0एस0 परमार, बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय को अनुसंधान के विषयों को निर्दिष्ट किए बिना कुल 29.76 करोड़ रू0 के अनुदान का भुगतान किया गया।

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

अपव्ययपूर्ण/निष्फल/निरर्थक व्यय

जीपयोग्य पुल के निर्माण पर निष्फल व्यय

लोक निर्माण विभाग ने शिमला जिला में सुरू गांव के लिए जीपयोग्य सड़क हेतु योजना तथा निर्माण न करने के परिणामस्वरूप जीपयोग्य झूला पुल के निर्माण पर 85.80 लाख रू0 का निष्फल व्यय हुआ, जिससे सुरू गांव के निवासियों को सड़क सम्पर्क से वंचित रहना पड़ा।

पुल के बह जाने के कारण परिहार्य हानि

लोक निर्माण विभाग के रामपुर मण्डल ने बरौनी नाला के ऊपर बने सड़क व पुल का अनुरक्षण न करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को पुल के बह जाने के कारण 1.86 करोड़ रू0 की परिहार्य हानि हुई।

एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल भवन के निर्माण में निष्फल व्यय

लोक निर्माण विभाग ने निचार (जिला किन्नौर) में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल भवन कार्यों का निर्माण समय पर पूर्ण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप 91.49 लाख रू0 का निष्फल व्यय हुआ हालांकि कार्य के निरसन के पश्चात् शेष कार्य को किए जाने के लिए यथेष्ट समय तथा धन व्ययित किए जाने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय सम विकास योजना के कार्यान्वयन पर निष्फल व्यय

समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार फर्म (विमर्श) तथा परामर्शदाताओं (नैबकोन) को उनके प्रदर्शन का अनुश्रवण किए बिना आवर्त्ती अदायगियां जारी करने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिरमौर की कार्रवाई के परिणामस्वरूप "राष्ट्रीय सम विकास योजना" स्कीम के कार्यान्वयन पर 44.53 लाख रू0 का निष्फल व्यय हुआ।

स्टेडियम के निर्माण पर अनुत्पादक व्यय

खेलकूद स्टेडियम को निर्माण के दौरान मध्य में क्रिकेट स्टेडियम में परिवर्तित करने के लिए युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के निर्णय के परिणामस्वरूप 53.50 लाख रू0 का अनुत्पादक व्यय तथा 1.30 करोड़ रू0 की निधियों का अवरोधन हुआ।

ठेकेदारों को अनुचित सहायता/परिहार्य व्यय

ठेकेदारों को अनुचित लाभ

1.23 करोड़ रू0 पर निष्पादित "ज्वालामुखी-देहरा-नेहरांपुखर सड़क" (जिला कांगड़ा) के निम्न-स्तर कार्य की संस्वीकृति के कारण लोक निर्माण विभाग गुणवत्ता सड़क संयोजिता को उपलब्ध नहीं करवा सका तथा इसके अतिरिक्त 50 लाख रू0 की उद्ग्रहण योग्य क्षतिपूर्ति को वसूल करने की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ की वृद्धि हुई।

लोक निर्माण विभाग के करसोग तथा राजगढ़ मण्डलों ने ठेकेदार को 1.87 करोड़ रू0 का अग्रिम भुगतान करने से पूर्व मानक बोली दस्तावेज के संगत प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उसे अनुचित सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, 2.16 करोड़ रू0 की सीमा तक सरकारी देयों को वैध बैंक प्रत्याभूतियों के अभाव में भारी जोखिम पर रखा गया था।

सरकारी प्राप्तियों को सरकारी लेखे से बाहर रखना

भारत के संविधान तथा विद्यमान वित्तीय सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए पशुपालन विभाग ने विभागीय सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त राजस्व एवं सरकारी निधियों के कुल 3.93 करोड़ रू0 के प्रत्यर्पण को सरकारी लेखे से बाहर रखा।

बेकार निवेश/निधियों का अवरोधन/निधियों का अपवर्तन

किचनशैडों के निर्माण में विलम्ब तथा निधियों का अवरोधन	शिक्षा विभाग द्वारा दोपहर भोजन स्कीम के अन्तर्गत किचनशैड-एवं-भण्डारों के निर्माणार्थ स्कूलों की अनुचित योजना तथा पहचान करने के परिणामस्रूप 1,077 स्कूलों को सुविधा उपलब्ध करवाने में विलम्ब तथा 6.46 करोड़ रू0 की निधियों का अवरोधन हुआ।
आपदा राहत निधियों का अवरोधन	किसानों को पशुचारे पर आपदा राहत निधियों में से परिवहन उपदान को समय पर जारी करने की सुनिश्चितता में पशुपालन विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 57.20 लाख रू0 की अप्रयुक्त राशि का अवरोधन हुआ। निधियों को मण्डलायुक्त, शिमला मण्डल द्वारा सूखा खत्म होने के पश्चात् वास्तविक रूप से जारी किया गया।
अतिरिक्त नर्स-एवं-दायी प्रशिक्षण केन्द्र पर बेकार निवेश तथा बेकार स्टॉफ पर निरर्थक व्यय	चम्बा में अतिरिक्त नर्स-एवं-दायी प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण तथा तैनात स्टॉफ के वेतन पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किये गये 51.90 लाख रू0 के व्यय से अभिप्रेत उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तथा अधिकतर निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि राज्य सरकार ने अतिरिक्त नर्स-एवं-दायी पाठयक्रमों हेतु अभ्यर्थियों को नामांकित नहीं किया था।
प्रवाह सिंचाई स्कीम पर बेकार निवेश	सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग ने शुरू में पर्याप्त जांच तथा शिमला जिला में ओडीगाड से नेरी प्रवाह सिंचाई स्कीम हेतु ऋण भार मुक्त भूमि का प्रबन्ध न करने के फलस्वरूप 66.79 लाख रू0 का बेकार निवेश हुआ।
सड़क एवं पुल के निर्माण पर बेकार व्यय	लोक निर्माण विभाग की घटिया योजना के परिणामस्वरूप स्पिति नदी के ऊपर सड़क एवं पुल के निर्माण पर 1.87 करोड़ रू0 का बेकार व्यय हुआ तथा किन्नौर जिला में सुमरा गांव को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।
आपदा राहत निधि का अपवर्तन	राज्य सरकार तथा कांगड़ा, किन्नौर एवं मण्डी जिला के उपायुक्तों ने 24.36 करोड़ रू0 आपदा राहत निधि से आपदा राहत निधि के दिशानिदेशों के अन्तर्गत अस्वीकार्य कार्यों के लिए अपवर्तित किए।
निधियों का अवरोधन	उपयुक्त स्थलों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना तथा तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना पालमपुर, शिमला तथा सोलन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं के प्रतिष्ठापन हेतु शहरी विकास विभाग द्वारा 3.49 करोड़ रू0 की निधियां संस्वीकृत की गई।

नियमितता मामले तथा अन्य बातें

पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति लाभों से वंचित करना	शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय नियमों तथा स्कीम दिशानिदेशों का अनुपालन न करने से छात्रवृत्ति के लाभ से विद्यार्थी वंचित रहे, इसके अलावा 9.16 करोड़ रू0 का अवरोधन हुआ।

एसबीआई म्युचुअल निधि में अनधिकृत निवेश	कार्यकारी परिषद् से अनुमोदन किए बिना म्युचुअल निधि में 3.32 करोड़ रू0 का निवेश करने की उप कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्रवाई से बाजार जोखिम में निवेश हुआ।
जेट्रोफा नर्सरियों को विवेकहीन उगाना	कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा जेट्रोफा पौधों के उगाने, वितरण तथा पौधरोपण पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए 75 लाख रू0 का व्यय उपयुक्त अभिलेखों का अनुरक्षण न करने तथा भारत सरकार से धन प्राप्त करने से पूर्व समूह भूमि की पहचान न करने के कारण प्रमाणिकता की कमी रही।
सामग्री का गलत बुक करना	4.60 करोड़ रू0 की लागत सामग्री को नियमों के विपरीत बजट की प्रयुक्ति को दर्शाने के लिए नौ लोक निर्माण मण्डलों द्वारा 54 कार्यों के प्रति अनुचित रूप से बुक किया।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां)

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, रॉयल्टी, ब्याज तथा शास्ति आदि का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण पर विभिन्न विभागों के कार्यचालन पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं। "बिक्री कर को मूल्य परिवर्धित कर में परिवर्तन", "हिमाचल प्रदेश में आसवनियों के कार्यचालन पर शुल्क एवं फीस संग्रहण" तथा "आबियाना प्रभारों सहित जल प्रभारों के निर्धारण एवं संग्रहण" पर समीक्षाएं भी प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं।

मुख्य-मुख्य बातें:

- *हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं से एकत्रित विद्युत मीटरों एवं सेवा लाइनों के किराया प्रभारों पर वैट की अदायगी न करने के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 14.05 करोड़ रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई।*
- *134 विक्रयकर्त्ता व्यापारियों द्वारा प्रदत्त कर के प्रति-सत्यापन के लिए किसी तंत्र के न होने के कारण व्यापारियों द्वारा दावा किए गये 15.33 करोड़ रू0 के निवेश कर क्रेडिट की वास्तविकता को निर्धारण प्राधिकारी सुनिश्चित नहीं कर सके।*
- *आनुपातिक आधार के बजाए समस्त ब्रांच अन्तरण/स्थानीय खरीद पर 69 व्यापारियों को 314.35 करोड़ रू0 के निवेश कर क्रेडिट को अधिक अनुमत करने के परिणामस्वरूप 2.23 करोड़ रू0 के राजस्व की हानि हुई।*
- *एक ही व्यापारी से एक वर्ष में की गई एक लाख रू0 से अधिक की स्थानीय खरीद के प्रतिसत्यापन के लिए अपर्याप्त प्रावधानों के परिणामस्वरूप व्यापारियों को अनुमत किए गये 6.06 करोड़ रू0 के निवेश कर क्रेडिट की वास्तविकता का सत्यापन नहीं हुआ।*
- *34 व्यापारियों के मामले में सिम कार्डों की बिक्री पर मूल्य परिवर्धित कर अदा न करने तथा सकल बिक्री से सामग्री की कटौती की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप 4.52 करोड़ रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई।*
- *सात जिलों में 28 औद्योगिक इकाइयों के मामले में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण सांविधिक फार्मों तथा कर की दर में छूट/रियायत की अनुमति देने के परिणामस्वरूप 10.03 करोड़ रू0 के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।*
- *जिला सोलन में मद्यनिर्माणशाला के लाइसेंसधारक को अधिनियम में प्रावधानों के बिना अमान्य अपचय पर अनुमति देने के परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क में 1.97 करोड़ रू0 की हानि हुई।*
- *सोलन तथा ऊना जिलों में दो आसवनियों में सीरे से स्पिरिट के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क में 4.31 करोड़ रू0 का कम संग्रहण हुआ।*
- *पांच आसवनियों में देशी शराब के 425.80 क्वार्टज़ के उत्पादन में आसवनी नियमों को लागू न करने के कारण 2.86 करोड़ रू0 की लाइसेंस फीस की वसूली नहीं हुई।*

- *मण्डी जिला में 31 मार्च 2007 को निर्गामी लाइसेंसधारियों द्वारा 1,05,723.662 प्रूफ लीटर देशी शराब तथा 52,513.188 प्रूफ लीटर स्वदेशी निर्मित विदेशी शराब अभ्यर्पित की थी। 2007-08 को 2.21 करोड़ रू0 की लाइसेंस फीस आगंता लाइसेंसधारियों से वसूल नहीं की थी।*

- *वर्ष 2006-07 से 2007-08 में 1.68 करोड़ रू0 के सांकेतिक कर एवं शास्ति को 2,574 वाहन मालिकों द्वारा न तो भुगतान किया गया और न ही 19 पंजीयन एवं लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वसूल किया गया।*

- *सात क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों के कार्यालय में विशेष पथ कर की अदायगी न करना/कम अदायगी तथा शास्ति के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप सरकारी प्राप्य के 3.23 करोड़ रू0 की वसूली नहीं हुई।*

- *पंजीयन एवं लाइसेंस प्राधिकारी, शिमला (शहरी) के कार्यालय में अप्रैल 2007 से अगस्त 2007, नवम्बर 2007, जनवरी 2008 तथा फरवरी 2008 के दौरान फीस तथा कर इत्यादि के सम्बन्ध में एकत्रित 20.05 लाख रू0 को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया और न ही सरकारी लेखे में जमा करवाया पाया गया। इसके परिणामस्वरूप सरकारी धन का गबन/दुर्विनियोजन हुआ।*

- *आठ वन मण्डलों में परियोजनाओं/पारेषण लाइनों इत्यादि के संरेखण क्षेत्र में पड़ने वाले 8,329 विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों के मूल्य को प्रभारित न करने/कम प्रभारित करने के परिणामस्वरूप 2.15 करोड़ रू0 के राजस्व की अवसूली/कम वसूली हुई।*

- *वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान जल प्रभारों के सम्बन्ध में निर्धारण के लिए देय 74.61 करोड़ रू0 के प्रति विभाग ने 72.87 करोड़ रू0 का निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप 1.74 करोड़ रू0 का कम निर्धारण हुआ।*

- *2005-06 से 2007-08 के दौरान 27 उप-मण्डलों में 35,847 मामलों में मीटरों के न लगाने तथा समान दरों पर जल प्रभारों के उद्ग्रहण के कारण सरकार को 4.73 करोड़ रू0 के राजस्व (औसत आधार पर गणना) की हानि हुई।*

- *2003-04 से 2007-08 के दौरान समितियों/नगर निगम को जल की बल्क आपूर्ति के लिए जल प्रभारों के विलम्बित अदायगियों हेतु अधिभार के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप 4.03 करोड़ रू0 के राजस्व की हानि हुई।*

- *हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 102.41 करोड़ रू0 के विद्युत शुल्क को जमा न करवाने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की वसूली नहीं हुई।*

- *489 मामलों में सम्पत्ति के बाजार भाव के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 1.81 करोड़ रू0 के स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।*

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

राज्य सरकार की वर्ष 2008-09 की कुल प्राप्तियां गत वर्ष के दौरान 9,141.54 करोड़ रू0 के प्रति 9,307.99 क रोड़ रू0 थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान जुटाया गया राजस्व गत वर्ष के 1,958.18 करोड़ रू0 के कर राजस्व तथा 1,822.43 करोड़ रू0 के कर-भिन्न राजस्व के प्रति क्रमश: 2,242.49 करोड़ रू0 तथा 1,756.24 करोड़ रू0 से समाविष्ट 3,998.73 करोड़ रू0 था।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां	प्रतिवेदन में परिच्छेदों तथा समीक्षाओं का वित्तीय प्रभाव 182.02 करोड़ रू0 था। सरकार/ विभाग ने 126.33 करोड़ रू0 की लेखारीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया जिसमें से लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर 38.92 करोड़ रू0 की राशि वसूल की गई।

प्रणाली मूल्यांकन

लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष

'बिक्री कर को मूल्य परिवर्धित कर में परिवर्तन' पर समीक्षा

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का पंजीकरण न करने के कारण राजस्व की अवसूली	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं से एकत्रित विद्युत मीटरों एवं सेवा लाइनों के किराया प्रभारों पर वैट की अदायगी न करने के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 14.05 करोड़ रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई।
निवेश कर क्रेडिट अनुमत करने से पूर्व प्रदत्त कर को सत्यापित करने के लिए तंत्र का अभाव	134 विक्रयकर्त्ता व्यापारियों द्वारा प्रदत्त कर के प्रति-सत्यापन के लिए किसी तंत्र के न होने के कारण व्यापारियों द्वारा दावा किए गये 15.33 करोड़ रू0 के निवेश कर क्रेडिट की वास्तविकता को निर्धारण प्राधिकारी सुनिश्चित नहीं कर सके।
निवेश कर क्रेडिट का अधिक अनुमत करना	आनुपातिक आधार के बजाए समस्त ब्रांच अन्तरण/स्थानीय खरीद पर 69 व्यापारियों को 314.35 करोड़ रू0 के निवेश कर क्रेडिट को अधिक अनुमत करने के परिणामस्वरूप 2.23 करोड़ रू0 के राजस्व की हानि हुई।
स्थानीय खरीद के प्रतिसत्यापन के लिए प्रावधानों की अपर्याप्तता	एक ही व्यापारी से एक वर्ष में की गई एक लाख रू0 से अधिक की स्थानीय खरीद के प्रतिसत्यापन के लिए अपर्याप्त प्रावधानों के परिणामस्वरूप व्यापारियों को अनुमत किए गये 6.06 करोड़ रू0 के निवेश कर क्रेडिट की वास्तविकता का सत्यापन नहीं हुआ।
किराया प्रभारों पर स्त्रोत पर कर कटौती हेतु प्रावधान की अपर्याप्तता	अनुबन्ध निर्माण कार्यों के निष्पादन में किराया प्रभारों की स्त्रोत पर कर कटौती हेतु अपर्याप्त प्रावधानों के परिणामस्वरूप 56.58 लाख रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई।
मूल्य परिवर्धित कर का भुगतान न करना तथा सामग्री की गलत कटौती के कारण अवनिर्धारण	34 व्यापारियों के मामले में सिम कार्डों के बिक्री पर मूल्य परिवर्धित कर अदा न करने तथा सकल बिक्री से सामग्री की कटौती की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप 4.52 करोड़ रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

'हिमाचल प्रदेश में आसवनियों के कार्यचालन पर शुल्क एवं फीस संग्रहण' पर समीक्षा

अमान्य अपचय पर शुल्क की हानि	जिला सोलन में मद्यनिर्माणशाला के लाइसेंसधारक को अधिनियम में प्रावधानों के बिना अमान्य अपचय पर अनुमति देने के परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क में 1.97 करोड़ रू0 की हानि हुई।
सीरा से स्पिरिट का कम उत्पादन	सोलन तथा ऊना जिलों में दो आसवनियों में सीरे से स्पिरिट के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क में 4.31 करोड़ रू0 का कम संग्रहण हुआ।
आसवनी नियमों को लागू न करना	पांच आसवनियों में देशी शराब के 425.80 क्वार्टज़ के उत्पादन में आसवनी नियमों को लागू न करने के कारण 2.86 करोड़ रू0 की लाइसेंस फीस की वसूली नहीं हुई।

'आबियाना प्रभारों सहित जल प्रभारों के निर्धारण एवं संग्रहण' पर समीक्षा

जल प्रभारों का कम निर्धारण	वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान जल प्रभारों के सम्बन्ध में निर्धारण के लिए देय 74.61 करोड़ रू0 के प्रति विभाग ने 72.87 करोड़ रू0 का निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप 1.74 करोड़ रू0 का कम निर्धारण हुआ।
जल आपूर्ति हेतु मीटरों को स्थापित न करना	2005-06 से 2007-08 के दौरान 27 उप-मण्डलों में 35,847 मामलों में मीटरों के न लगाने तथा समान दरों पर जल प्रभारों के उद्ग्रहण के कारण सरकार को 4.73 करोड़ रू0 के राजस्व (औसत आधार पर गणना) की हानि हुई।
जल प्रभारों के विलम्बित अदायगी हेतु अधिभार का न लगाना	2003-04 से 2007-08 के दौरान समितियों/नगर निगम को जल की बल्क आपूर्ति के लिए जल प्रभारों के विलम्बित अदायगियों हेतु अधिभार के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप 4.03 करोड़ रू0 के राजस्व की हानि हुई।

लेन-देन लेखापरीक्षा के परिणाम

परिच्छेदों के रूप में सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

बिक्री, व्यापार/वैट आदि पर कर

त्रुटिपूर्ण सांविधिक फार्मों की स्वीकृति के कारण कर का अपवंचन	सात जिलों में 28 औद्योगिक इकाइयों के मामले में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण सांविधिक फार्मों तथा कर की दर में छूट/रियायत की अनुमति देने के परिणामस्वरूप 10.03 करोड़ रू0 के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

बिक्री के संगोपन के कारण कर का अपवंचन	चार जिलों के 16 व्यापारियों द्वारा जिन्होंने जिला सिरमौर के व्यापारी को खैर की लकड़ी का विक्रय किया था 2.91 करोड़ रू0 की बिक्री को प्रकट न करने/कम प्रकट करने के परिणामस्वरूप 87.40 लाख रू0 के कर का अपवंचन हुआ।

राज्य आबकारी

अंत शेष स्टॉक पर लाइसेंस फीस की अवसूली/कम वसूली	अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी में निर्गामी लाइसेंसधारियों द्वारा 1,05,723.662 प्रूफ लीटर देशी शराब तथा 52,513.188 प्रूफ लीटर स्वदेशी निर्मित विदेशी शराब अभ्यर्पित की थी। 2007-08 को 2.21 करोड़ रू0 की लाइसेंस फीस आगंता लाइसेंसधारियों से वसूल नहीं की थी।

वाहन, माल एवं यात्री कर

सांकेतिक कर की अवसूली/कम वसूली	वर्ष 2006-07 से 2007-08 में 1.68 करोड़ रू0 के सांकेतिक कर एवं शास्ति को 2,574 वाहन मालिकों द्वारा न तो भुगतान किया गया और न ही 19 पंजीयन एवं लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वसूल किया गया।
विशेष पथ कर की अदायगी न करना/कम अदायगी तथा विशेष पथ कर की विलम्बित अदायगी हेतु शास्ति का अनुद्ग्रहण	सात क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों के कार्यालय में विशेष पथ कर की अदायगी न करना/कम अदायगी तथा शास्ति के अनुदग्रहण के परिणामस्वरूप सरकारी प्राप्य के 3.23 करोड़ रू0 की वसूली नहीं हुई।
सरकारी धन का गबन/अस्थाई दुर्विनियोजन	पंजीयन एवं लाइसेंस प्राधिकारी, शिमला (शहरी) के कार्यालय में अप्रैल 2007 से अगस्त 2007, नवम्बर 2007, जनवरी 2008 तथा फरवरी 2008 के दौरान फीस तथा कर इत्यादि के सम्बन्ध में एकत्रित 20.05 लाख रू0 को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया और न ही सरकारी लेखे में जमा करवाया पाया गया। इसके परिणामस्वरूप सरकारी धन का गबन/दुर्विनियोजन हुआ।

वन प्राप्तियां

राजस्व की अवसूली/कम वसूली	आठ वन मण्डलों में परियोजनाओं/पारेषण लाइनों इत्यादि के सरेखण क्षेत्र में पड़ने वाले 8,329 विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों के मूल्य को प्रभारित न करने/कम प्रभारित करने के परिणामस्वरूप 2.15 करोड़ रू0 के राजस्व की अवसूली/कम वसूली हुई।
रॉयल्टी की देरी से अदायगी पर ब्याज का अनुद्ग्रहण	छ: वन मण्डलों में दोहनार्थ सौंपे गए 53 समूहों के सम्बन्ध में 3.28 करोड़ रू0 की रॉयल्टी हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा देरी से अदायगी की गई जिसके ऊपर 98.97 लाख रू0 के ब्याज का उद्ग्रहण विभाग द्वारा नहीं किया गया।

अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

बहुउद्देशीय परियोजनाएं तथा विद्युत विभाग

विद्युत शुल्क का अनुद्ग्रहण	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 102.41 करोड़ रू0 के विद्युत शुल्क को जमा न करवाने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की वसूली नहीं हुई।

राजस्व विभाग

सम्पत्ति के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	34 उप-पंजीयकों द्वारा 489 मामलों में सम्पत्ति के बाजार भाव के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 1.81 करोड़ रू0 के स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्यप्रणाली पर निष्पादन समीक्षा का सामान्य विहंगावलोकन सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के अभिलेखों की नमूना-जांच पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई पर परिच्छेद सहित 14 परिच्छेद भी सम्मिलित हैं।

मुख्य-मुख्य बातें:

- *सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किए जाते हैं। इन लेखों की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके सम्बन्धित कानून के द्वारा शासित की जाती है। 31 मार्च 2009 को हिमाचल प्रदेश राज्य के 20 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (17 कम्पनियां एवं तीन सांविधिक निगम) तथा तीन अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सभी कम्पनियां) थे, जिनमें 42,204 कर्मचारी कार्यरत थे। उनके नवीनतम लेखाओं के अनुसार 2008-09 के लिए क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 4,629.88 करोड़ रू0 की आय दर्ज की। यह आय राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 12.53 प्रतिशत के बराबर थी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। तथापि, 2008-09 में क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 0.12 करोड़ रू0 की समग्र हानि उठाई तथा 943.78 करोड़ रू0 की हानियां संचित हुई।*

  सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

- *31 मार्च 2009 को 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश (पूंजीगत एवं दीर्घावधि ऋण) 4,256.01 करोड़ रू0 था जो 2003-04 में 5,104.22 करोड़ रू0 से 16 प्रतिशत तक घट गया। 2008-09 में विद्युत क्षेत्र ने कुल निवेश का लगभग 72 प्रतिशत लेखाबद्ध किया। 2008-09 के दौरान सरकार ने इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/उपदान के प्रति 703.85 करोड़ रू0 का अंशदान दिया।*

  सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

- *वर्ष 2008-09 के दौरान 20 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से आठ ने 47.68 करोड़ रू0 का लाभ अर्जित किया तथा बराबर संख्या के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 47.80 करोड़ रू0 की हानि वहन की। तीन क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने वाणिज्यिक गतिविधियां आरम्भ नहीं की थी तथा एक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सम्बन्ध में आय से अधिक व्यय राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्तियोग्य था। लाभ में मुख्य अंशदाता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (32.31 करोड़ रू0) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (9.74 करोड़ रू0) थे। हिमाचल पथ परिवहन निगम (34.18 करोड़ रू0) तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (6.32 करोड़ रू0) द्वारा भारी हानियां वहन की। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलापों में विभिन्न कमियों से हानियां बताई गई थीं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की*

550.50 करोड़ रू0 की हानियां तथा 8.58 करोड़ रू0 का निष्फल निवेश अच्छे प्रबन्धन के साथ नियंत्रणयोग्य था। इस प्रकार, कार्यकलापों तथा हानियों को न्यूनतम/दूर करने में सुधार की अत्यधिक सम्भावना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तभी अपनी भूमिका कुशलतापूर्वक निभा सकते हैं यदि वे वित्तीय रूप से स्वावलम्बी हों। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलापों में व्यावसायिकता तथा उत्तरदायित्व की आवश्यकता है।

लेखाओं की गुणवत्ता

- *सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्तूबर 2008 से सितम्बर 2009 के दौरान अंतिम रूप दिए गए क्रियाशील कम्पनियों के 16 लेखों में से आठ लेखों ने योग्य प्रमाणपत्र प्राप्त किए तथा सात लेखों ने प्रतिकूल प्रमाणपत्र प्राप्त किए। लेखांकन मानकों की अनुपालना न करने के 44 दृष्टांत थे। अक्तूबर 2008 से सितम्बर 2009 के दौरान अंतिम रूप दिए गए सांविधिक निगमों के तीन लेखों में से केवल एक लेखे की लेखापरीक्षा पूर्ण की गई तथा इसने योग्य प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया। कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों में कई कमजोर क्षेत्रों को दर्शाया गया।*

लेखाओं में बकाया तथा बन्द करना

- *सितम्बर 2009 तक बारह क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 15 लेखे बकाया थे। बकायों को प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लक्ष्यों को निर्धारित करने के द्वारा निपटाने की आवश्यकता है। तीन अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। क्योंकि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विद्यमानता से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, सरकार को अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शीघ्र बन्द करने की आवश्यकता है।*

लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

- *लोक उपक्रम समिति द्वारा 2002-03 से आगे की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अभी पूर्णतः चर्चा की जानी है। छः लम्बित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 17 समीक्षाओं तथा 80 परिच्छेदों में से 16 समीक्षाएं तथा 56 परिच्छेद चर्चा हेतु लम्बित थे।*

सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा

हिमाचल पथ परिवहन निगम से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों का कार्यकारी सारांश नीचे दिया गया है:

हिमाचल पथ परिवहन निगम राज्य में अपने 23 डिपुओं के माध्यम से लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाता है। निगम के बेड़े में 31 मार्च 2009 को 1,908 बसें थीं तथा 2008-09 के दौरान प्रतिदिन औसतन 1.20 लाख यात्रियों को लाया-ले जाया गया। इसका सार्वजनिक परिवहन में 41.26 प्रतिशत शेयर लेखाबद्ध था जबकि शेष निजी ऑपरेटरों से आया। 2004-05 से 2008-09 की अवधि हेतु निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा इसके परिचालनों की दक्षता व मितव्ययिता, इसके वित्तीय वचनबद्धता के निर्वहन की योग्यता, राजस्व के गैर-परम्परागत स्रोतों का दोहन करने के लिए बसों के मॉडल के पुनर्व्यवस्थित की सम्भावना, किराए-भाड़े की नीति की विद्यमानता व उपयुक्तता और निगम के कार्यकलापों के अनुश्रवण में उच्च प्रबंधकारिणी की प्रभावशालिता के निर्धारणार्थ की गई।

वित्त प्रबंध एवं निष्पादन

निगम को 2008-09 में 34.18 करोड़ रू0 की हानि हुई। इसकी संचित हानियां व देनदारियां 31 मार्च 2009 को क्रमश: 512.23 करोड़ रू0 तथा 140.01 करोड़ रू0 थीं। निगम ने 2008-09 में 25.19 रू0 प्रति किलोमीटर अर्जित किए और 27.34 रू0 प्रति किलोमीटर व्यय किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सही नीति उपायों तथा इसके कार्यकलापों के सफल प्रबंधन से लागतों को कम करना सम्भव है ताकि लाभ अर्जित किया जा सके और इसके लक्ष्य की सफल पूर्ति हो सके।

शेयर गिरावट

वर्ष 2008-09 में सार्वजनिक परिवहनार्थ लाइसेंस दी गई, 4,624 बसों में से लगभग 41.26 प्रतिशत निगम की थी। निगम की शेयर प्रतिशतता 2004-05 में 40.35 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 41.82 प्रतिशत हुई किन्तु 2008-09 में आंशिक रूप से घटकर 41.26 रह गई। वर्ष 2008-09 के दौरान शेयर में गिरावट मुख्यत: इसके परिचालनात्मक अदक्षता के कारण थी। फिर भी, एक लाख जनसंख्या के प्रति वाहन सघनता (निजी ऑपरेटरों की बसों सहित) 2004-05 में आंशिक रूप से 65.31 से बढ़कर 2008-09 में 66.85 हो गई जो राज्य में सार्वजनिक परिवहन के स्तर की स्थिरता को दर्शाता है।

वाहन रूपरेखा एवं प्रयुक्ति

31 मार्च 2009 को निगम का 1,881 बसों तथा 27 किराए की बसों का अपना बेड़ा था। इसके अपने बेड़े में से 588 (31.26 प्रतिशत) बसें अपनी अवधि पूर्ण कर चुकी थीं। अपनी अवधि पूर्ण कर चुकी बसों को न बदलने के कारण 2004-05 में अधिकायु वाली बसों की प्रतिशतता 24.46 से बढ़कर 2008-09 में 31.26 हो गई यद्यपि निगम ने 2004-09 के दौरान 960 नई बसें प्राप्त की। अधिग्रहण 40 करोड़ रू0 के सहायता अनुदान तथा राज्य सरकार से 36.24 करोड़ रू0 के शेयर पूंजी अंशदान के माध्यम से निधिबद्ध था। वर्ष 2008-09 में निगम के बेड़े की प्रयुक्ति 98.67 प्रतिशत थी जो 90.01 प्रतिशत की अखिल भारतीय औसत से अधिक थी। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इसकी वाहन उत्पादकता अखिल भारतीय औसत 196 किलोमीटर प्रतिदिन प्रति बस से अधिक 224 किलोमीटर थी। इसी भांति, 2008-09 में इसका 64.83 प्रतिशत लोड फैक्टर अखिल भारतीय औसत के 63 प्रतिशत से अधिक रहा। यद्यपि निगम के परिचालनात्मक पैरामीटर संतोषजनक थे किन्तु इसकी 95 प्रतिशत बसों की समय-सारणियां उच्च परिचालन लागत के कारण अलाभकारी थी। वर्ष 2004-09 के दौरान निगम ने निवारक अनुरक्षण नहीं करवाया जो 12.70 से 13.53 प्रतिशत के मामलों में अपेक्षित था।

परिचालनों मे मितव्ययिता

जनशक्ति तथा ईंधन कुल लागत का 72.97 प्रतिशत बनता है। ब्याज, मूल्यह्रास तथा कर 14.22 प्रतिशत लेखांकित हैं और अल्पावधि में नियंत्रणयोग्य नहीं हैं। इस प्रकार, नियंत्रणयोग्य व्यय जनशक्ति तथा ईंधन से होता है। निगम 2004-05 में 5.09 से प्रति बस जनशक्ति घटाकर 2008-09 में 4.41 करने में सफल रहा यद्यपि जनशक्ति लागत 2004-09 में 8.44 रू0 से 10.60 रू0 प्रति प्रभावी किलोमीटर बढ़ी। इसके अतिरिक्त, 2008-09 में मरम्मत व अनुरक्षण पर व्यय 66.24 करोड़ रू0 (3.52 लाख रू0 प्रति बस) था जिसमें से लगभग 44 प्रतिशत जनशक्ति पर था। निगम ने अपने ईंधन खपत के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जिसके कारण 5.26 करोड़ रू0 मूल्य के ईंधन की अधिक खपत हुई।

निगम ने केवल 27 बसों को किराए पर लिया था जबकि बस मालिक बसों को चालकों सहित उपलब्ध करवाते तथा सारा व्यय करते थे। निगम परिचालकों को उपलब्ध करवाता है तथा परिचालित किलोमीटरों के अनुसार भुगतान करता है। जबकि किराए की बसों के प्रति प्रभावी किलोमीटर की निवल हानि स्वयं की बसों से कम थी, इस व्यवस्था द्वारा वास्तविक लागत को कम करने की सम्भावना है। निगम को भविष्य में अधिकायु वाली बसों को किराए की बसों से बदलने की सम्भावना का पता लगाने की आवश्यकता है।

राजस्व उच्चतम सीमा तक बढ़ाना

राज्य सरकार रियायती/नि:शुल्क पासों तथा घाटे वाले रूटों के परिचालन की लागत की प्रतिपूर्ति करती है। तथापि, राज्य सरकार ने निगम द्वारा दायर 311.92 करोड़ रू0 के दावे के प्रति केवल 231 करोड़ रू0 की प्रतिपूर्ति की थी जिससे 80.92 करोड़ रू0 की वसूली नहीं हो पाई।

विनियामक की आवश्यकता

फरवरी 2008 से किराया प्रति किलोमीटर 92.50 पैसे रहा। यद्यपि सरकार किराया बढ़ाने का अनुमोदन करती है, किन्तु इसकी गणना हेतु कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। निगम ने अलाभकारी समय-सारणियों पर सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु मानक भी नहीं बनाए हैं। इस प्रकार, किराया निर्धारण, अलाभकारी रूटों पर परिचालन निर्दिष्ट करने तथा अन्यत्रवासियों की शिकायतों को सुनने हेतु स्वतंत्र विनियामक निकाय (राज्य सरकार द्वारा यथापरिकल्पित सार्वजनिक टैरिफ आयोग की भांति) का होना आवश्यक है।

अपर्याप्त अनुश्रवण

विभिन्न परिचालनात्मक पैरामीटरों हेतु लक्ष्यों का निर्धारण तथा उनकी उपलब्धि पर प्रतिपुष्टि प्राप्त करने हेतु प्रभावी प्रबंधन सूचना तंत्र उच्च प्रबंधन द्वारा अनुश्रवणार्थ आवश्यक है। परिचालनों में कमी की जाने वाली उपयुक्त उपायात्मक कार्रवाई सहित निदेशक मण्डल में विचार-विमर्श की जानी अपेक्षित है। तथापि, निगम ने इन पहलुओं की अनदेखी की तथा परिचालनात्मक पैरामीटरों पर प्रभावी प्रबंधन नियंत्रण करके लागत को नियंत्रित नहीं कर सका।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

यद्यपि निगम हानियां उठा रहा है जो मुख्यत: इसके परिचालन की उच्च लागत, किराए की बसों पर नाम मात्र निर्भरता और कम किराए ढांचे के कारण हैं। निगम परिचालनात्मक लागत को कम करके और बसों को किराए पर लेकर हानियों को नियंत्रित कर सकता है। निगम के निष्पादन सुधार हेतु इस समीक्षा में पांच सिफारिशें सम्मिलित हैं। इन सिफारिशों में से कुछ परिचालनात्मक लागत में कमी करना, बसों को किराए पर लेना तथा उच्च प्रबंधन द्वारा प्रभावी अनुश्रवण करना है।

लेन-देन से सम्बन्धित लेखापरीक्षा टिप्पणियां

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन-देन से सम्बन्धित लेखापरीक्षा टिप्पणियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में कमियों को उजागर करती हैं जिसके परिणामस्वरूप गम्भीर वित्तीय समस्याएं आईं। इंगित की गई अनियमितताएं मोटे तौर पर निम्न प्रकृति की हैं:

- नियमों, दिशासूचकों, प्रक्रिया एवं निविदा प्रलेख की शर्तों की अनुपालना न करने के कारण पांच मामलों में 16.69 करोड़ रू0 की हानि।

(परिच्छेद 3.1, 3.6, 3.7, 3.9 तथा 3.10)

- त्रुटिपूर्ण परियोजना के कारण एक मामले में 1.13 करोड़ रू0 के सम्भाव्य राजस्व की हानि।

(परिच्छेद 3.2)

- अविवेकी निर्णय के कारण एक मामले में 7.51 करोड़ रू0 की हानि।

(परिच्छेद 3.4)

- अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण के कारण तीन मामलों में 12.52 करोड़ रू0 की हानि।

(परिच्छेद 3.3, 3.8 तथा 3.12)

- कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सारांश नीचे दिया गया है।

- **हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित** उपयुक्त रूप से कार पार्किंग परियोजना के निर्माण योजना बनाने में विफल रहा जिससे परियोजना को आरम्भ करने में सात वर्षों से अधिक का समय लगा, 1.13 करोड़ रू0 के सम्भाव्य राजस्व की हानि के अतिरिक्त 81 लाख रू0 की लागत वृद्धि हुई।

(परिच्छेद 3.2)

- **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** प्रचलित बाजार दरों के अनुसार भूसी की दरों में समय पर संशोधन न करने के परिणामस्वरूप 3.56 करोड़ रू0 की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.3)

- **राज्य सरकार** के अविवेकी निर्णय से सम्पत्ति क्रेता के प्रति विक्रय विलेख की शर्त लागू न करने के परिणामस्वरूप **हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड** को 7.51 करोड़ रू0 की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.4)

- **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड** निविदा प्रलेखानुसार इस्पात के नलिकाकार खम्बों की आपूर्ति हेतु दरों का निर्धारण करने में विफल रहा परिणामत: स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं को 1.06 करोड़ रू0 का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

(परिच्छेद 3.6)

- **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड** व्यय विनियमनों को कार्यान्वित न करने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से सर्विस कनैक्शन प्रभारों की अल्प वसूली के कारण 2.90 करोड़ रू0 की राजस्व हानि हुई।

(परिच्छेद 3.7)

- **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड** ने संसारपुर टैरेस क्षेत्र की लोड आवश्यकता का सही निर्धारण नहीं किया जिससे 3.35 करोड़ रू0 का अविवेकी निवेश हुआ जिसके परिणामत: 85.43 लाख रू0 के ब्याज की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.8)

- **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड** शुल्क-दर की प्रयोज्य अनुसूची के प्रावधानों एवं विद्युत अधिनियम, 2003 को लागू न करने के कारण 11.69 करोड़ रू0 की राजस्व हानि हुई।

(परिच्छेद 3.10)